सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या– 13

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तराखण्ड मं

रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में विवरण

(Particulars of recipients of concessions, permits or authorizations granted by it)

आयोग द्वारा किसी प्रकार की छूट या परमिट निर्गत करने का कार्य नहीं किया जाता।